भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4305

दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी सेवाओं में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम

4305. श्री मदन राठौड़:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री नरहरि अमीन:
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री लहर सिंह सिरोया:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत टेक-हाम राशन (टीएचआर) के वितरण हेतु फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) के माध्यम से सत्यापित लाभार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है, साथ ही पात्र लाभार्थियों के बीच ईकेवाईसी की पूर्ति किस सीमा तक हुई है;

(ख) सत्यापन और सेवा प्रदायगी हेतु एफआरएस मॉड्यूल को पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के साथ किस प्रकार एकीकृत किया गया है;

(ग) क्या राजस्थान सहित राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा एफआरएस-आधारित प्रमाणीकरण के क्रियान्वयन में कोई प्रचालन या तकनीकी चुनौतियां रिपोर्ट की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही लाभार्थियों का सटीक, पारदर्शी और सुरक्षित सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन को निर्धारित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी कार्यकलापों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए आईसीटी आधारित निगरानी उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं का लगभग तत्समय (रियल टाईम) डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ (पूरक पोषण) वास्तविक/लक्षित लाभार्थी तक पहुँच रहे हैं; लाभों के दोहराव और गड़बड़ी के जोखिम को दूर करने और योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रालय ने अगस्त 2024 में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) शुरू किया। एफआरएस को 6 राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में पायलट के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद, दिसंबर 2024 में एफआरएस को पूरे भारत में लागू किया गया, जिसमें एफआरएस के बिना टीएचआर प्रदायागी का विकल्प भी शामिल था। एफआरएस के लिए लाभार्थियों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) यह सुनिश्चित कर रहा है कि लाभ केवल एप्लिकेशन में पंजीकृत लक्षित लाभार्थियों को ही मिले।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पंजीकृत बच्चों (6 वर्ष की आयु तक के) के लिए ई-केवाईसी/एफआरएस कराना अनिवार्य नहीं है। बच्चों की ओर से माता, पिता या कोई भी अभिभावक ई-केवाईसी/एफआरएस कराकर टीएचआर प्राप्त कर सकते हैं। एफआरएस एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कोई अतिरिक्त उपकरण/डिवाइस देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मौजूदा पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में एक विशेषता के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, आधार आधारित ट्रैकिंग से लाभार्थियों की सही पहचान और गड़बड़ी की रोकथाम संभव हो पाई है।

लाभार्थियों के बायोमीट्रिक ब्यौरे एकत्र करने की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के माध्यम से चेहरा नामांकन से पहले एक विशिष्ट सहमति ली जाती है। निजी डेटा सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं है; यह केवल सत्यापन उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर्मियों को ही उपलब्ध है। दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्सेस भूमिका आधारित है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। एफआरएस शुरू करने से पहले डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किए गए अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं:

1. फेस वेरिफिकेशन से संबंधित सभी अनुरोध और प्रतिक्रियाएं ट्रांजिट के दौरान एन्क्रिप्ट की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा बीच में रोके जाने (इंटरसेप्शन) या छेड़छाड़ से सुरक्षित है।

2. मोबाइल एप्लिकेशन का आंतरिक डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, जिससे ऐप के बाहर संवेदनशील जानकारी को पहुंचने से रोका जा सकता है।

3. सुरक्षित प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए ऐप के भीतर चेहरे की छवियों को बेस 64 एन्कोडेड प्रारूप में संभाला जाता है।

4. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को चेहरे के मिलान के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई अलग-अलग छवियों की प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती है।

5. डिवाइस पर कोई भी इमेज या डेटा स्थायी रूप से संगृहीत नहीं होता है। एहतियात के तौर पर, एडब्ल्यूडब्ल्यू के एप्लिकेशन से लॉग आउट करने पर सभी कैच्ड(cached) या अस्थायी डेटा स्वचालित रूप से मिटा दिया जाता है।

6. वार्षिक सुरक्षा ऑडिट का प्रत्येक वर्ष आधार पर अनुपालन किया जाता है, वर्ष 2025 के लिए सुरक्षा ऑडिट सीईआरटी-इन सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लिया गया है।

एफआरएस पर पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के डेटा के अनुसार, फरवरी 2026 में एफआरएस के माध्यम से टीएचआर प्रदायगी के लिए कुल 4,77,88,108 पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई थी। इनमें से 97.01% लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और फेस मैचिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा राज्य समन्वयकों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को एफआरएस पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण वीडियो भी उनके सीखने में सहायता के लिए साझा किए जाते हैं। इसके अलावा, पोषण भी पढ़ाई भी योजना के तहत, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो बदले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हैं। दिनांक 18.03.2026 तक, पहले चरण के तहत 41645 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) और दूसरे चरण के तहत 3901 एसएलएमटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ब्लॉक और जिला समन्वयक पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और पर्यवेक्षकों को जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं।
